



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022020-216331
CG-DL-E-22022020-216331

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2020/फाल्गुन 1, 1941

No. 701]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2020/PHALGUNA 1, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2020

का.आ. 770(अ).—निम्नलिखित प्रारूप नियमों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड 3 (ii) में का.आ. 1035 (अ), दिनांक 16 मई 2001 द्वारा प्रकाशित बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 के अधिक्रमण में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, सिवाय उन तथ्यों, जो इसे अधिक्रमण से पहले किए जाने हैं, को छोड़कर जनसाधारण, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथाअपेक्षित एतद्वारा प्रकाशित की जाती है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल पते: m.gangeya@gov.in; ad.raju@nic.in पर भेज सकेगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक : इन नियमों को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2020 कहा जाएगा।
2. लागू होना -

ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे:

- (1) बैटरियों अथवा घटकों सहित उनके घटकों, उपभोज्य हिस्सों और अतिरिक्त हिस्सों, जो उत्पाद को प्रचालनात्मक बनाते हैं, के विनिर्माण, प्रसंस्करण, बिक्री, खरीद, एकत्रण, भंडारण, पुन-प्रसंस्करण और उपयोग में लगे हुए प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, एकत्रण केन्द्र, आयातक, रि-कंडीशनर, मरम्मतकर्ता, नवीकरणकर्ता, भंजक, संयोजनकर्ता, नीलामीकर्ता, वाहन सेवा केन्द्र, उपभोक्ता और थोक उपभोक्ता पर लागू होंगे;
- (2) आकार, मात्रा, भार, सामग्री-संघटन अथवा उपयोग पर ध्यान दिए बिना अनुसूची-1 में सूचीबद्ध की गई सभी प्रकार की बैटरियां;
- (3) वे सभी उपकरण, जिनमें बैटरी समाविष्ट है अथवा की जा सकती है।
- (4) ये विनियम निम्नलिखित में उपयोग में लाई गई बैटरियों पर लागू नहीं होते हैं:
 - i. हथियारों, आयुधों और युद्ध सामग्री जैसे अनिवार्य सुरक्षा हितों और विशिष्ट रूप से सेना के प्रयोजनों से संबद्ध उपकरण;
 - ii. अंतरिक्ष (अंतरिक्ष में खोज करने हेतु) में भेजे जाने के लिए अभिकल्पित उपकरण
 - iii. आपातस्थिति और चेतावनी प्रणालियों;
 - iv. आपातस्थिति प्रकाश व्यवस्था; और
 - v. चिकित्सा उपकरण
- (5) बैटरी अपशिष्ट का आयात-निर्यात नियम 2 (1) में उल्लिखित उपयोगकर्ताओं की स्थापना में उत्पादित परिसंकटमय अपशिष्ट का हथालन, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 के तहत प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

3. परिभाषाएं- इन नियमों में, जबतक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो, -

- (1) 'अधिनियम' से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;
- (2) संयोजनकर्ता - से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो विभिन्न घटकों का संयोजना करके बैटरियों का विनिर्माण करता है।
- (3) "नीलामी" से प्रयुक्त बैटरियों या उनके संघटक (कों) की बड़े पैमाने पर बिक्री, निविदाएं आमंत्रित करके या नीलामी, संविदा द्वारा या व्यक्ति (यों) कंपनियों या सरकारी विभागों द्वारा विचार-विमर्श करना अभिप्रेत है।
- (4) "नीलामीकर्ता" - से प्रयुक्त बैटरियों या उनके संघटकों की नीलामी कर रहा व्यक्ति (यों) अभिप्रेत है।
- (5) "प्राधिकार" से बैटरियों के हथालन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, भंजन, पुनःचक्रण, उपचार और व्ययन के लिए अनुज्ञा प्राप्त करना अभिप्रेत है।
- (6) "बैटरी" या "संचयकर्ता" से रासायनिक ऊर्जा के प्रत्यक्ष परिवर्तन द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा का कोई स्रोत अभिप्रेत है और इसमें डिस्पोजेबल प्राथमिक (अल्कली/पारा/सिल्वर ऑक्साइड/जिंक कार्बन) बैटरियों या रिचार्ज योग्य गौण (लेड एसिड/लिथियम आयन/लिथियम धातु/निकेल कैडमियम) बैटरियों या कोई अन्य बैटरी, जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है और जिसमें परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा-पारीय संचलन) नियम, 2016 में यथापरिभाषित पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोऑक्साइड या अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड या दबावयुक्त सल्फर डाइआक्साइड गैस या थियोनिल क्लोराइड या मैगनेसियम ब्रोमाइड या मैगनेसियम परक्लोरेट या पारा या जिंक या कैडमियम या निकेल या लिथियम क्लोराइड या कोई अन्य परिसंकटमय सामग्री समाविष्ट है (या जो मियाद समाप्ति पर उत्पादन कर सकती है)।
- (7) "बैटरी पैक" बैटरियों या संचयकर्ता के ऐसे समुच्चय से अभिप्रेत है जो बाहरी आवरण के भीतर इस प्रकार से संयोजित या समाहित है कि एक ऐसी संपूर्ण इकाई का निर्माण करे जिसे उसकी मियाद समाप्ति पर प्रयोगकर्ता उसे अलग करने या खोलने का इरादा ना करे।
- (8) "बड़े उपभोक्ता" से उपभोक्ता, जैसे केन्द्रीय सरकार, रेलवे, रक्षा, दूरसंचार, डाक और टेलीग्राफ, राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बोर्ड, बैंक, शैक्षिक संस्थानों, बहुराष्ट्रीय संगठनों, अंतरराष्ट्रीय

अभिकरण और सार्वजनिक या निजी कंपनियों अभिप्रेत है जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत पंजीकृत हैं और स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं जिनका टर्नओवर एक करोड़ से अधिक है और जिनमें बीस से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और अन्य अभिकरण या कंपनियों जिन्होंने प्रतिवर्ष सौ या सौ से अधिक बैटरियों का क्रय किया है।

(9) 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है।

(10) 'एकत्रण केन्द्र' से विनिर्माताओं, उत्पादकों, आयातकों, संयोजनकर्ताओं या विक्रेताओं (डीलरों) को इन नियमों के नियम 5 (2) (ii) के तहत और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादक को प्रदान किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व हेतु प्राधिकार में यथानिर्दिष्ट उनके उत्तरदायित्वों के अनुसरण में बैटरी अपशिष्ट को संग्रहित करने के लिए वैयक्तिक रूप से या एसोसिएशन के रूप में संयुक्त रूप से स्थापित कोई केन्द्र अभिप्रेत है।

(11) 'संघटक' से संयोजन का एक भाग या संयोजन जो बैटरी उत्पाद का निर्माण करता है, अभिप्रेत है। ये भाग परिसंकटमय या गैर-परिसंकटमय प्रकृति के हो सकते हैं;

(12) 'उपभोक्ता से थोक उपभोक्ताओं को छोड़कर बैटरियों का उपयोग कर रहे व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(13) 'चैनलाईजेशन' से पंजीकृत भंजक या पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता को एकत्रण के पश्चात अपशिष्ट बैटरियों के संचलन प्रणाली का निर्देशन अभिप्रेत है।

(14) 'डीलर' से किसी व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है जो बैटरियों या उसके घटकों का उत्पादकों या विनिर्माताओं या आयातकर्ताओं, समायोजकों या फुटकर विक्रेताओं या उपभोक्ताओं या अन्यथा से व्यक्तियों या बड़े उपभोक्ताओं को बिक्री या थोक बिक्री और/या फुटकर विक्रय के लिए क्रय या विक्रय करता है;

(15) 'भंजक' से किसी व्यक्ति या पंजीकृत समिति या नामोद्दिष्ट अभिकरण या कंपनी या कोई एसोसिएशन अभिप्रेत है जो प्रयुक्त बैटरियों का उनके घटकों में भंजन करने के कार्य में लगा हुआ है और जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सुविधाओं से युक्त है;

(16) 'व्ययन' से कोई प्रचालन अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत सुरक्षित पाटन भूमि में पुनर्चर्कण, पुनःप्राप्तियां, पुनःउपयोग करना नहीं है और जिसके अंतर्गत भौतिक-रसायन या जैविक उपचार, भस्मीकरण और व्ययन भी शामिल है;

(17) 'पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ प्रबंधन' से यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी अपेक्षित उपाय सुनिश्चित करना अभिप्रेत है जिसमें बैटरियों का प्रबंधन इस रीति से किया जाए जो किसी प्रतिमूल प्रभावों से स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षित किया जाएगा जो ऐसे अपशिष्टों में अंतर्विष्ट परिसंकटमय पदार्थों के परिणामस्वरूप हो सकते हैं;

(18) 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (ईपीआर) से बैटरियों के किसी उत्पादक के उनके उत्पादों के विनिर्माण के बाद उनकी मियाद समाप्ति तक पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ प्रबंधन न हो जाने तक ऐसे अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अपशिष्ट बैटरियों के चनेलीकरण हेतु उत्तरदायित्व अभिप्रेत है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में उत्पादक को वापस लेने की प्रणाली कार्यान्वित करनी या संग्रहण केन्द्रों की स्थापना करना या दोनों और उत्पादक या उत्पादकों द्वारा उनके विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व-प्राधिकार में उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन के माध्यम से वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के साथ सहमत हुई व्यवस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं।

(19) 'ईपीआर-प्राधिकार' से उत्पादक को राज्य विशिष्ट कार्यान्वयन योजनाओं सहित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों और उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन (पीआरओ) का ब्यौरा और जहां भी लागू हो अन्य ब्यौरे सहित ऐसे प्राधिकार में रेखांकित किए गए लक्ष्यों को प्रबंधित करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति अभिप्रेत है।

(20) 'ईपीआर प्रबंधन' से संग्रहण केन्द्रों की स्थापना वापस लेने की प्रणाली कार्यान्वित करने, पंजीकृत भंजकों या पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के साथ वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से करार का समावेशन करते हुए या उत्पादक

उत्तरदायित्व संगठन (पीआरओ) के माध्यम से एक प्रभावी अपशिष्ट बैटरी चैनेलीकरण प्रणाली की स्थापना करना अभिप्रेत है;

(21) 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों योजना' से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व-प्राधिकार के लिए आवेदन करते समय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई योजना जिसमें उत्पादक, उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन का ब्यौरा देने सहित लक्षित संग्रहण हेतु अपशिष्ट बैटरी चैनेलीकरण प्रणाली का ब्यौरा प्रदान करायेगा;

(22) 'सुविधा' से ऐसा कोई अवस्थान अभिप्रेत है जिसमें अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, पृथक्कीकरण मरम्मत करने, भंजन, पुनर्चक्रण, शोधन और व्ययन की आनुषंगिक प्रक्रियाओं को किया जाता है;

(23) 'प्रपत्र' से इन नियमों के लिए निबंधित प्रपत्र अभिप्रेत है;

(24) 'आयातकर्ता' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विक्रय या विनिर्माण के प्रयोजनार्थ नई बैटरियों या उसके घटकों का आयात करता है;

(25) 'औद्योगिक बैटरी' से कोई बैटरी या बैटरी पैक अभिप्रेत है जो औद्योगिक या व्यावसायिक उपयोगों हेतु अनन्य रूप से डिजाईन की गई है, किसी विद्युत चलित वाहन में प्रोपल्शन हेतु है किंतु ऑटोमोटिव बैटरी नहीं है, या मुद्रांकित है किंतु वहनीय (पोर्टेबल) बैटरी नहीं है।

(26) 'विनिर्माता' से ऐसा व्यक्ति या कोई संस्था या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथा पारिभाषित कंपनी या कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) में यथापारिभाषित कारखाना अभिप्रेत है जिसमें बैटरियों या उसके घटकों का विनिर्माण करने के लिए सुविधाएं हैं;

(27) 'मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम)' से किसी उपकरण या बैटरियों का उसके घटक के रूप में उपयोग कर रहे उत्पाद का विनिर्माण अभिप्रेत है;

(28) 'वहनीय बैटरी' से कोई बैटरी या बैटरी पैक अभिप्रेत है जो मुद्रांकित है, एक औसत सामान्य व्यक्ति द्वारा बिना किसी परेशानी के हाथों से ले लाया जा सकता है, और जो ना तो ऑटोमोटिव बैटरी है और ना ही औद्योगिक बैटरी है;

(29) 'उत्पादक' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित में विक्रय की तकनीकों की परवाह किए बिना लगा हुआ है;

- i. अपने ब्रांड के तहत बैटरियों और उनके घटकों या उपभोग करने योग्य सामग्रियों या हिस्सों या छोटे पुर्जों का विनिर्माण करता है और बिक्री के लिए प्रस्तुत करता है; या
- ii. अपने ब्रांड के तहत एक घटक के रूप में बैटरी या बैटरियों का प्रयोग करते हुए उपकरण/उत्पाद का विनिर्माण करता है या बिक्री के लिए प्रस्तुत करता है; या
- iii. अन्य विनिर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादित समेकित बैटरियों और उनके घटकों या उपभोग करने योग्य सामग्रियों या हिस्सों या कल-पुर्जों को अपने ब्रांड के तहत बिक्री के लिए प्रस्तुत करता है; या
- iv. आयातित बैटरियों और उनके घटकों या उपभोग करने योग्य सामग्रियों या हिस्सों या छोटे पुर्जों को बिक्री के लिए प्रस्तुत करता है।

(30) 'उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन (पीआरओ)' से उत्पादकों द्वारा प्राधिकृत या सामूहिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से वित्तपोषित व्यावसायिक संगठन अभिप्रेत है, जो बैटरी अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु अपने उत्पादों की 'मियाद समाप्ति' से उत्पन्न बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण और चैनेलीकरण का उत्तरदायित्व ले सकता है;

(31) 'री-कंडीशनर' से पुरानी बैटरियों को बाजार में बेचने हेतु बैटरियों की मरम्मत में शामिल व्यक्ति अभिप्रेत है;

- (32) 'पुनर्चक्रणकर्ता' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपशिष्ट बैटरियों या उनके घटकों के पुनर्चक्रण या पुनःप्रसंस्करण के कार्य में लगा हुआ है और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उल्लिखित सुविधाएं रखता है;
- (33) 'पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता' से प्रयुक्त बैटरियों या उनके घटकों के पुनःप्रसंस्करण हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ पंजीकृत कोई पुनर्चक्रणकर्ता या उसके द्वारा नामित कोई एजेंसी अभिप्रेत है;
- (34) 'मरम्मत' से प्रयुक्त बैटरियों की काम चलाऊ रहने की समय-सीमा बढ़ाने हेतु उन्हें मूल वांछित प्रयोग में लगाने और उन्हें बाजार में बेचने या मालिक को वापिस करने हेतु उनकी मरम्मत करना अभिप्रेत है;
- (35) 'मरम्मतकर्ता' से, इन नियमों के प्रयोजनार्थ, कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मरम्मत के कार्य में लगा है;
- (36) 'अनुसूची' से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (37) संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में 'राज्य सरकार' से संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;
- (38) 'राज्य बोर्ड' से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जो भी स्थिति हो, अभिप्रेत है;
- (39) 'प्रयुक्त बैटरियों' से प्रयोग की अवधि समाप्त, क्षतिग्रस्त और पुरानी बैटरियों या उनके घटक अभिप्रेत हैं;
- (40) 'बैटरी अपशिष्ट' से उपभोक्ता या उपभोक्ता समूह द्वारा अपशिष्ट के रूप में पूर्णतः या आंशिक रूप से परित्यक्त बैटरी और उसके घटक तथा विनिर्माण, मरम्मत और प्रसंस्करण की प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट अभिप्रेत है।

टिप्पण: इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ वही होगा जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।

अध्याय-II

4. निषेध और लेबलिंग अपेक्षाएं

(1) बैटरियों में भारी धातु की मात्रा संबंधी निषेध

(i) कोई व्यक्ति निम्नलिखित को बाजार में प्रस्तुत नहीं करेगा-

(क) ऐसी बैटरी जिसे तोलने पर पारद की मात्रा 0.0005% (5पीपीएम) से अधिक हो;

(ख) पोर्टेबल बैटरी जिसे तोलने पर केडमियम की मात्रा 0.002% से अधिक हो।

(ii) पैरा (1) (i) (क) में उल्लिखित निषेध उस बटन सेल पर लागू नहीं होगा जिसे तोलने पर पारद की मात्रा 2% से अधिक नहीं है।

(iii) पैरा (1) (i) (ख) में उल्लिखित निषेध उस पोर्टेबल बैटरी पर लागू नहीं होगा जिसका उपयोग इन रूपों में किया जाए:

क. आपातकालीन और अलार्म प्रणाली, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था सहित;

ख. चिकित्सा उपकरण; या

(2) तारहीन विद्युत उपकरण जिस पर क्रॉस चिह्न वाले पहियादार कूड़ेदान का निशान हो।

(i) कोई व्यक्ति तब तक किसी बैटरी या बैटरी के पैकेज को बाजार में प्रस्तुत नहीं करेगा जब तक बैटरी या बैटरी के पैकेज के सबसे बड़े भाग के कम से कम 5% क्षेत्र में अनुसूची-II में दर्शाया गया 'क्रॉस चिह्न वाले पहियादार कूड़ेदान का निशान' नहीं लगाया हो।

- (ii) बेलनाकार बैटरियों के मामले में क्रॉस चिह्न वाले पहियादार कूड़ेदान का निशान बैटरी या बैटरी के पैकेज की सतह के कम से कम 2% क्षेत्र में लगाया जाएगा।
- (iii) जहां बैटरी या बैटरी के पैकेज का आकार ऐसा है कि क्रॉस चिह्न वाले पहियादार कूड़ेदान का निशान 0.5X0.5 सेंटीमीटर से कम हो, वहां बैटरी या बैटरी के पैकेज पर निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है किंतु पैकेजिंग पर कम से कम 1X1 सेंटीमीटर माप का क्रॉस चिह्न वाले पहियादार कूड़ेदान का निशान अंकित किया जाएगा।
- (iv) क्रॉस चिह्न वाले पहियादार कूड़ेदान के निशान को स्पष्ट रूप से, सुपाठ्य एवं पक्के रंग से अंकित किया जाएगा।

(3) पारद, केडमियम और लेड के निशान लगाना

- (i) कोई व्यक्ति निम्नलिखित को बाजार में प्रस्तुत नहीं करेगा-
- (क) वजन में 0.0005% से अधिक पारद की मात्रा वाली बटन सेल जब तक उसे रासायनिक चिह्न "एचजी" से अंकित नहीं किया गया हो;
- (ख) वजन में 0.002% से अधिक केडमियम की मात्रा वाली बैटरी जब तक उसे रासायनिक चिह्न "सीडी" से अंकित नहीं किया गया हो;
- (ग) वजन में 0.004% से अधिक लेड की मात्रा वाली बैटरी जब तक उसे रासायनिक चिह्न "पीबी" से अंकित नहीं किया गया हो।
- (ii) पैरा (1) में उल्लिखित प्रत्येक रासायनिक चिह्न -
- (क) क्रॉस चिह्न वाले पहियादार कूड़ेदान के निशान के नीचे मुद्रित किया जाएगा;
- (ख) उस चिह्न के आकार के कम से कम एक चौथाई क्षेत्र को कवर करेगा; और
- (ग) स्पष्ट रूप से, सुपाठ्य एवं पक्के रंग से अंकित किया जाएगा।

अध्याय III

5. उत्तरदायित्व

- (1) विनिर्माता, आयातक, असेंबलर और री-कंडिशनर के उत्तरदायित्व:- विनिर्माता, आयातक, एसेंबलर और री-कंडिशनर का निम्नलिखित दायित्व होगा:
- (i) उन पुरानी बैटरियों को छोड़कर, जिन्हें मूल उपकरण विनिर्माता या उपभोक्ता समूह (समूहों) को बेचा गया हो, पुरानी बैटरियों का अनुसूची के अनुसार बेची गई बैटरियों के बदले में वापस एकत्रीकरण सुनिश्चित करना;
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि पुरानी बैटरियां उसी प्रकार की और उन्हीं विनिर्देशों वाली हैं जैसी बेची गई नई बैटरियां हैं;
- (iii) प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक राज्य बोर्ड को प्रपत्र-1 में अपनी बिक्री और वापसी खरीद का वार्षिक रिटर्न फाइल करना;
- (iv) उपभोक्ताओं और डीलरों से पुरानी बैटरियों के एकत्रीकरण हेतु विभिन्न स्थानों पर व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से संग्रहण केन्द्र स्थापित करना;
- (v) यह सुनिश्चित करना कि एकत्र की गई पुरानी बैटरियां केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता को भेजी जाती हैं;
- (vi) यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण केन्द्रों से पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के परिसर तक सुरक्षित ढुलाई के लिए डीलरों के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं;
- (vii) यह सुनिश्चित करना कि पुरानी बैटरियों की ढुलाई के दौरान पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और पुरानी सीसा अम्ल बैटरियों के मामले में अम्ल का बहाव नहीं होना चाहिए;

(viii) निम्नलिखित के संबंध में विज्ञापनों, प्रकाशनों, पोस्टरों या अन्य माध्यमों से जन-जागरूकता पैदा करना:

क. सीसा, केडमियम और पारद (अन्य तत्वों) का जोखिम;

ख. उपभोक्ताओं का कर्तव्य कि वे अपनी पुरानी बैटरियों को केवल डीलरों को वापस करें या संग्रहण केन्द्रों को सौंप दें;

ग. डीलरों एवं संग्रहण केन्द्रों के पते;

घ. बैटरियों के अनुचित हथालन, निपटान, दुर्घटनाजनित टूट-फूट, क्षति या अनुचित पुनर्चक्रण के जोखिमों के संबंध में जानकारी, और

ङ. उपकरण के उपयोग के पश्चात् उसके हथालन एवं निपटान के लिए 'क्या करें, क्या नहीं करें' के साथ अनुदेश।

(ix) बैटरियों पर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्चक्रण चिह्न का प्रयोग करना;

(x) पुनर्चक्रित सीसा (अन्य तत्व) केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से खरीदना;

(xi) डीलरों द्वारा किसी उल्लंघन के मामले को राज्य बोर्ड या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ध्यान में लाना।

(xii) यह सुनिश्चित करना कि नई बैटरियां केवल डीलरों, थोक उपभोक्ता और सीपीसीबी से पंजीकृत ओईएम या उसके द्वारा नामित किसी एजेंसी को ही बेची जाए।

टिप्पण: असेंबलरों और री-कंडिशनरों को उप-खंड (iv), (vii), (ix) और (xii) में यथाविनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों के दायरे से बाहर रखा गया है।

(2) उपर्युक्त उत्तरदायित्वों के अलावा, विशिष्ट उत्तरदायित्व ये हैं:

(i) विनिर्माता: यह निर्माता का उत्तरदायित्व होगा कि वह

(क) किसी बैटरी के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट को एकत्रित करे और उसे पुनर्चक्रण या निपटान हेतु चैनलीकृत करे;

(ख) नियम 8 (3) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रपत्र 2 (क) में प्राधिकार के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवेदन करे, जो प्रपत्र 2 (ख) के अनुसार प्राधिकार प्रदान करेगा;

(ग) प्रपत्र 6 में, सृजित, हथालित और निपटान किए गए बैटरी अपशिष्ट का अभिलेख रखे और उन अभिलेखों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छानबीन के लिए उपलब्ध कराए;

(घ) जिस वित्तीय वर्ष से रिटर्न संबंधित हो उसके पश्चात् 30 जून को या उससे पहले संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास प्रपत्र-1 में वार्षिक रिटर्न फाइल करे।

(ii) उत्पादक: यह उत्पादक का उत्तरदायित्व होगा कि वह-

(क) निम्नलिखित ढांचागत तंत्रों के जरिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को कार्यान्वित करे, अर्थात्:-

(i) वैयक्तिक उत्पादक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो भी स्थिति हो, से प्रपत्र 3 (क) के अनुसार ईपीआर-प्राधिकार की मांग करेगा;

(ii) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राधिकार में अनुसूची III में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप बैटरियों की मियाद समाप्त होने या बैटरी रखे जाने वाले उपकरण की मियाद समाप्त होने पर अपशिष्ट बैटरियों का संग्रहण और चैनलीकरण;

(iii) पुरानी बैटरियों के चैनलीकरण के लिए प्रयुक्त तंत्रों, जिसमें पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा प्रयुक्त तंत्र शामिल है, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राधिकार के अनुसार होना चाहिए।

(iv) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राधिकार के अंतर्गत, बाजार में पहले प्रस्तुत की गई अपशिष्ट बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (जिसमें बैटरी रखी गई हो), जैसे-डीलरों, संग्रहण केन्द्रों, उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन के

माध्यम से वापसी खरीद व्यवस्था, विनियम योजना आदि के जरिए या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी प्राधिकृत एजेंसी के माध्यम से प्रस्तुत की गई बैटरियों एवं उपकरणों का अपशिष्ट शामिल किया जाना चाहिए और इस प्रकार एकत्रित वस्तुओं को प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के पास चैनलीकृत किया जाना चाहिए;

(v) अपशिष्ट बैटरियों की वापसी में सुविधा प्रदान करने हेतु उपभोक्ता (ओं) थोक उपभोक्ता (ओं) को उनकी वेबसाइट के जरिए संपर्क ब्यौरा जैसे-पता, ई-मेल पता, टोल- फ्री दूरभाष नंबर या हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराना और उत्पाद प्रयोक्ता प्रलेखन करना;

(vi) निम्नलिखित के संबंध में मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों, के माध्यम से, या संचार के किसी अन्य साधन तथा बैटरी या बैटरी रखे जाने वाले उपकरण के साथ उत्पाद प्रयोक्ता प्रलेखन के माध्यम से जागरूकता सृजित करना-

(vii) बैटरियों के खतरनाक घटकों के संबंध में जानकारी देगा।

(viii) बैटरियों के अनुचित हथालन, निपटान, दुर्घटना स्वरूप टूट-फूट, क्षति अथवा अनुचित पुनःचक्रण के खतरों के संबंध में जानकारी देगा।

(ix) 'क्या करें या क्या न करें' के साथ उपस्कर के उपयोग के बाद उसके हथालन और निपटान के लिए निर्देश देगा।

(x) उत्पाद पर अथवा उत्पाद उपयोग दस्तावेज पर नीचे की ओर, एक दिखाई देने वाले, स्पष्ट अक्षरों में और पक्के रंग से चिन्ह लगाना ताकि खराब बैटरियों को निपटान के लिए निर्धारित अपशिष्ट से भरे कूड़ेदान में डाले जाने से रोका जा सके।

(xi) पुनःचक्रण के लिए खराब बैटरियों को वापस लौटाने के लिए अपने उपभोक्ताओं हेतु साधन और तंत्र उपलब्ध कराना।

(xii) उत्पादक के पास विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से लागू करने का विकल्प होगा। व्यक्तिगत उत्पादक उत्तरदायित्व में, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उत्पादक अपने निजी संग्रहण केन्द्र स्थापित करेगा अथवा टेकबैग सिस्टम लागू करेगा अथवा दोनों कार्य करेगा। सामूहिक प्रणाली में, उत्पादक एक उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन या अपशिष्ट विनियम करने वाले या दोनों के साथ एक सदस्य के रूप में जुड़ सकता है। प्रत्येक मामले में प्रपत्र-3(ख) और नियम 8(2) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राधिकार प्राप्त करना प्रत्येक निजी उत्पादक के लिए अनिवार्य होगा।

(ख) उत्पादों की मियाद की समाप्ति पर उनके संग्रहण और उन्हें प्राधिकृत भंजकों या पंजीकृत पुनःचक्रकों को चैनलीकृत करने के संबंध में जानकारी प्रदान करना यदि ऐसी योजना विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में शामिल है।

(ग) परंतु उत्पादक उत्पाद की मियाद समाप्त होने पर उसे वापस लेते समय जमा की अवधि के लिए प्रचलित दर पर ब्याज के साथ, बिक्री के समय उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता से ली गई जमा राशि को वापस करेगा;

(iii) **डीलर :** प्रत्येक डीलर का यह उत्तरदायित्व होगा कि

(क) प्रत्येक डीलर, उपभोक्ता को एक बॉक्स, बिन या बैटरी अपशिष्ट के लिए एक चिन्हित क्षेत्र प्रदान करके या उत्पादक की ओर से उत्पाद वापस लेने की प्रणाली के माध्यम से बैटरी अपशिष्ट को एकत्र करेगा।

(ख) सुनिश्चित किया जाएगा कि उपयोग की गई लेड एसिड बैटरियों (अन्य बैटरियों.....) को, उपभोक्ता को बेची गई नई लेड एसिड बैटरियों (अन्य बैटरियों...) से 100% प्रतिस्थापित किया जाए। नई बैटरियों को उचित जीएसटी चालान पर बेचा जाना चाहिए।

(ग) उपभोक्ता (अपंजीकृत व्यक्ति) से प्राप्त प्रत्येक पुरानी बैटरी के संबंध में धारा 31(3)(च) के तहत चालान तैयार करेगा और समय-समय पर यथासंशोधित सीजीएसजी अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा 3 या उप-धारा 4 के तहत कर का भुगतान करेगा। इसके अलावा, धारा 31(3)(छ) के अनुसार, जिस पंजीकृत

- व्यक्ति को उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत कर का भुगतान करना है वह आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय भुगतान वाउचर जारी करेगा;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि वापस एकत्र की गई पुरानी बैटरियों के प्रकार और विनिर्देश वही हों जो बेची गई नई बैटरियों के हैं;
- (ङ) प्रत्येक डीलर एकवारगी पंजीकरण सुविधा प्रदान करने हेतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को प्रपत्र 2 (ग) में आवेदन प्रस्तुत करेगा;
- (च) पंजीकृत डीलर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को वार्षिक आधार पर एकत्रित बैटरी अपशिष्ट का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को ये ब्यौरा प्रस्तुत न करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा; परंतु, डीलरों को प्रदत्त पंजीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान न किया गया हो;
- (छ) प्रपत्र 6 में, हथालित बैटरी अपशिष्ट का अभिलेख रखेगा और ऐसे अभिलेखों को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए;
- (ज) प्रत्येक वर्ष की 31 मई और 30 नवंबर, की तिथि तक प्रपत्र 1 में विनिर्माता एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास नई बैटरियों की बिक्री और पुरानी बैटरियों की वापसी खरीद का वार्षिक रिटर्न फाइल करेगा;
- (झ) एकत्रित बैटरियों को पंजीकृत संग्रहण केन्द्रों तक या पंजीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं तक या विनिर्माता तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करेगा;
- (ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि पुरानी बैटरियों के भण्डारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे और लेड एसिड बैटरियों के मामले में एसिड का बहाव न होने पाए;
- (ट) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पांच वर्षों के लिए पंजीकरण होगा और उक्त नियमों के अनुसार अपेक्षित संख्या में पुरानी बैटरियों के एकत्रीकरण में तथा राज्य प्रदूषण बोर्डों को समय पर वार्षिक रिटर्न की प्रस्तुति में विफल रहने पर पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है; पंजीकरण का नवीकरण अनुपालन स्थिति के अनुसार होगा; इसके लिए प्रपत्र 1 के अनुसार ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा; यदि तीस दिनों के भीतर आपत्ति न की जाए, तो पंजीकरण को पंजीकृत मान लिया जाएगा; परंतु डीलर को जारी पंजीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो;
- (ii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामोद्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा पारित पंजीकरण के निलंबन या निरस्तीकरण या अस्वीकृति संबंधी किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी;
- (iii) अपील लिखित रूप में की जाएगी और इसके साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, की प्रति संलग्न की जाएगी और आदेश पारित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील की जाएगी।
- (iv) **पुनःचक्रणकर्ता** : पुनःचक्रणकर्ता का यह उत्तरदायित्व होगा –
- (क) यदि पहले आवेदन न किया हो, तो प्रपत्र 2 (ग) में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उसके द्वारा नामोद्दिष्ट किसी एजेंसी के पास पंजीकरण हेतु आवेदन करना;
- (ख) प्रत्येक वर्ष के लिए 30 जून और 31 दिसंबर की तिथि तक उक्त नियमों के तहत निर्धारित प्रपत्र 1 के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति को वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना ;
- (ग) पुरानी बैटरियों की प्राप्ति, स्रोतों, प्रमात्राओं और धातु उत्पाद से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराना और उन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना;
- (घ) पुनःप्रसंस्करण द्वारा प्राप्त धातु पर “पुनर्चक्रित” निशान लगाना;

(ड) निम्नलिखित के संबंध में विज्ञापनों, प्रकाशनों, पोस्टरों या अन्य माध्यमों के जरिए जन-जागरूकता पैदा करना :

- क. भारी धातु का जोखिम,
ख. उपभोक्ताओं का यह दायित्व कि वे पुरानी बैटरियों को केवल पंजीकृत डीलरों को वापस करें या उन्हें निर्दिष्ट संग्रहण केन्द्रों को सौंप दें।

(च) पंजीकरण के निबंधनों एवं शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना; तथापि, पुरानी बैटरियों को पुनःप्रसंस्कृत करने हेतु पहले से ही सीपीसीबी या उसके द्वारा नामोद्दिष्ट किसी एजेंसी के साथ पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता एजेंसी पंजीकरण के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगी;

(छ) किफायती यथेष्ट प्रदूषण नियंत्रण तंत्र स्थापित करने हेतु 10,000 टन/वर्ष से अधिक क्षमता वाले केन्द्रीय पुनःचक्रण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

(v) **उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता :** उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि—

- (क) उपभोक्ताओं के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि पुरानी बैटरियों का निपटान उन्हें विक्रेता या चिन्हित क्षेत्रों, जहां से उपभोक्ता ने नई बैटरी खरीदी है, के पास जमा करने के सिवाय किसी अन्य ढंग से नहीं किया जाए;
- (ख) उपभोक्ता डीलर से खरीदी गई नई बैटरी के संबंध में उचित जीएसटी चालान लेगा। इसके अलावा, उपभोक्ता धारा 31 (3) (च) के तहत बेची गई प्रत्येक पुरानी बैटरी के संबंध में डीलर से चालान प्राप्त करने के साथ-साथ जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत डीलर द्वारा उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अंतर्गत भुगतान किए गए कर के लिए धारा 31 (3) (छ) के अधीन भुगतान वाउचर प्राप्त करेगा;
- (ग) थोक उपभोक्ता राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकरण करवाएगा। यह सुनिश्चित करना थोक उपभोक्ता का उत्तरदायित्व होगा कि कबाड़ बैटरियों का निपटान पंजीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं के पास जमा करने के सिवाय किसी अन्य ढंग से न किया जाए;
- (घ) थोक उपभोक्ता राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रपत्र 1 में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, थोक उपभोक्ता खरीदी गई नई बैटरियों और बेची गई पुरानी बैटरियों के आंकड़े उनके शुल्क शीर्षक और जीएसटीएन के साथ उपलब्ध कराएगा;
- (ड) थोक उपभोक्ताओं उनकी प्रयोक्ता इकाइयों द्वारा पुरानी बैटरियों के लिए संविदा या नीलामी के संबंध में केवल पंजीकृत पुनःचक्रणकर्ता से संपर्क किया जाएगा। थोक उपभोक्ताओं के लिए यह भी अपेक्षित है कि वे जिन पंजीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं के पास कबाड़ बैटरियां जमा की जा रही हैं उनके वैध लाइसेंस का अभिलेख रखें।

(vi) **नीलामकार :** नीलामकार का यह दायित्व होगा —

- (क) नीलामकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत होगा;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि पुरानी बैटरियां केवल पंजीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं को ही नीलाम की जाएं;
- (ग) राज्य बोर्डों को प्रपत्र 1 में अपनी नीलामी का वार्षिक रिटर्न फाइल करना; और
- (घ) ऐसी नीलामी का अभिलेख रखना और उन अभिलेखों को राज्य बोर्ड को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना।

(vii) **आयातक :** आयातक का यह उत्तरदायित्व होगा —

- (क) आयातक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ प्रपत्र-2(ग) के अनुसार पांच वर्षों की अवधि के लिए पंजीकरण करवाएगा और उक्त नियमों के अनुसार अपेक्षित संख्या में पुरानी बैटरियों के एकत्रीकरण में तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए, समय पर वार्षिक रिटर्न की प्रस्तुति में विफल रहने पर पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है; पंजीकरण का नवीकरण अनुपालन की स्थिति के अनुसार होगा, परंतु आयातक को जारी पंजीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो;

- (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामोद्विष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा पारित पंजीकरण के निलंबन या निरस्तीकरण या अस्वीकृति संबंधी किसी ओदश के विरुद्ध अपील की जाएगी;
- (ग) अपील लिखित रूप में की जाएगी और इसके साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, की प्रति संलग्न की जाएगी और आदेश पारित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील की जाएगी।
- (viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति :** राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति का यह उत्तरदायित्व होगा –
- (क) राज्य बोर्ड इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्राधिकरण हैं; और
- (ख) यह प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक अनुपालन स्थिति रिपोर्ट फाइल करेगा।
- (ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां डीलर को एकवारगी आधार पर पंजीकृत करेंगी और यदि तीस दिनों की अवधि के भीतर आपत्ति नहीं की जाती है तो पंजीकरण को मान लिया गया समझा जाएगा;
- (घ) सभी पुनःचक्रण केन्द्रों की आवधिक निगरानी;
- (ङ) थोक उपभोक्ताओं के मामले में, खरीदी गई नई बैटरियों और बेची गई पुरानी बैटरियों के आंकड़ों की जीएसटी पोर्टल से आवधिक जांच।
- (ix) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :** केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यह उत्तरदायित्व होगा –
- (क) प्रति वर्ष राज्य बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करना।
- (ख) पुरानी बैटरियों के संग्रहण और पुनःचक्रण में सुधार लाने हेतु आवधिक रूप से नियमों के अनुपालन की समीक्षा करना और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इस विषय में अवगत कराना।
- (ग) बैटरी पुनःचक्रण केन्द्रों के लिए दिशानिर्देश/एसओपी तैयार करना।
- (घ) सभी प्रकार के बैटरी पुनःचक्रण हेतु प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण।
- (ङ) प्रौद्योगिकी अंतरण।
- (च) बैटरी अपशिष्ट पुनःचक्रण तथा पुनःचक्रण केन्द्रों से अपशिष्ट के निपटान हेतु मानकों का निर्धारण।
- (छ) बैटरी पुनःचक्रण हेतु अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।
- (ज) ईपीआर के तहत उत्पादकों आदि को प्राधिकार प्रदान करना।
- (x) संग्रहण केन्द्र :** संग्रहण केन्द्रों का यह उत्तरदायित्व होगा –
- (क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति से पंजीकरण करवाना;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण केन्द्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों या दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित हैं;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि एकत्रित बैटरी अपशिष्ट को तब तक सुरक्षित ढंग से भंडारित किया जाए जब तक उसे पंजीकृत भंजक या पंजीकृत पुनःचक्रणकर्ता जो भी स्थिति हो के पास नहीं भेजा गया है;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि बैटरी अपशिष्ट के भण्डारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे और लेड एसिड बैटरियों के मामले में अम्ल का बहाव न हो;
- (ङ) प्रपत्र 6 में, हथालित बैटरी अपशिष्ट का अभिलेख रखना और ऐसे अभिलेखों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जांच के लिए उपलब्ध कराना।
- (च) कतिपय प्रयुक्त बैटरियों का निपटान किए जाने पर उनमें अवशिष्ट चार्ज शामिल हो सकता है। ऐसी प्रयुक्त बैटरियों की जांच करने के बाद स्टार्ट-अप संगठनों जैसे उपयुक्त अभिकरणों और अन्य फर्मों को सौंप दिया जाए जहां पर इन बैटरियों का पूर्ण रूप से डिस्चार्ज होने तक उपयोग किया जा सकता है।

- (xi) **भंजक :** यह भंजक का उत्तरदायित्व होगा कि वह
- (क) सामग्रियों के परिशोधन और पुनर्प्राप्ति हेतु एक पुनःचक्रणकर्ता के रूप में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति से पंजीकरण कराएगा।
 - (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि बैटरी अपशिष्ट के भंडारण और ढुलाई के दौरान पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे।
 - (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि भंजन प्रक्रिया से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि भंजित किया गया बैटरी अपशिष्ट पृथक कर दिया गया है और सामग्री की रिकवरी के लिए पंजीकृत पुनःचक्रण सुविधा केंद्रों के पास भेज दिया गया है।
 - (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि गैर-पुनःचक्रण योग्य (नॉनरिकवरेबल) संघटकों को प्राधिकृत शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा केंद्र में भेज दिया गया है।
 - (च) एकत्रित, भंजित और प्राधिकृत पुनःचक्रणकर्ता को भेजे गए बैटरी अपशिष्ट का लेखा-जोखा रखेगा।
 - (छ) प्रत्येक वर्ष की 30 जून, को या उससे पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्ररूप 1 में वार्षिक विवरणी जमा करेगा।

(xii) **सीमा-शुल्क निकासी:** नई बैटरियों के आयातों पर सीमा-शुल्क निकासी निम्नलिखित पर समाश्रित होगी

- (1) भारतीय रिजर्व बैंक से विधिमान्य पंजीकरण (आयातकर्ता के कोड सं. सहित)
- (2) सीपीसीबी या इसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अभिकरण से प्ररूप 2 में एक बार पंजीकरण
- (3) प्ररूप 2 (घ) में वचन-पत्र और
- (4) प्ररूप-1 में नवीनतम वार्षिक विवरणी की प्रति

7. **अभिलखों और विवरणियों का कंप्यूटरीकरण :** सीपीसीबी या उसके द्वारा निर्दिष्ट कोई अभिकरण निम्नलिखित के कंप्यूटरीकृत अभिज्ञान के लिए एक प्रणाली का विकास करेगा-

- (1) बैटरियों के वितरण और विक्रय;
- (2) उपयोग की गई बैटरियों के संग्रहण, उनकी नीलामी, परिवहन और पुनः प्रसंस्करण;
- (3) पंजीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं द्वारा पुनःप्रसंस्कृत सीसे का विक्रय;
- (4) सभी देशी उत्पादकों या आयातकर्ताओं से सीसे का विक्रय; और
- (5) आंकड़ा विधिमान्यकरण को जीएसटीएन पोर्टल, जहां पर एचएसएन कोड आधार/जीएसटीएन संख्या आधार पर सभी आंकड़े (विक्रय और क्रय) दर्ज किए जाते हैं, से प्राप्त सूचना का उपयोग करके किया जा सकता है।

अध्याय IV

8. बैटरी अपशिष्ट के प्रहस्तन हेतु प्राधिकार प्राप्त करने और पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

(1) **पुनःचक्रणकर्ताओं के पंजीकरण/नवीकरण के लिए प्रक्रिया.**

(i) उपयोग की गई लेड एसिड बैटरियों का प्रत्येक पुनःचक्रणकर्ता, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्ररूप 2 (ग) में सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी अभिकरण को पंजीकरण या नवीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन करेगा;

- (क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, यथासंशोधित और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यथासंशोधित के अधीन विधिमान्य सम्मति की एक प्रति;
- (ख) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2016 यथासंशोधित के अधीन विधिमान्य प्राधिकार की एक प्रति;
- (ग) जिला उद्योग केंद्र के यहां पंजीकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्र की एक प्रति; और

- (घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जिला उद्योग केंद्र द्वारा जारी की गई संस्थापित क्षमता के प्रमाण की एक प्रति।
- (ii) सदस्य सचिव, सीपीसीबी या सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकारी या इसके द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि पुनःचक्रणकर्ता के पास उपयोग में लाई गई बैटरियों का पुनःचक्रण करने और जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का व्ययन करने के लिए समुचित प्रसुविधाएं, तकनीकी क्षमताएं और उपस्कर हैं;
- (iii) सदस्य सचिव, सीपीसीबी या सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकारी या इसके द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकरण पंजीकरण के लिए आवेदन पर, आवेदन की, संपूर्ण व्यौरों के साथ प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर विनिश्चय करेगा;
- (iv) इस नियम के अधीन मंजूर किया गया पंजीकरण, जब तक कि उसे पहले निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, जारी करने या नवीकरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा;
- (v) पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन, उसके अवसान से कम से कम छह मास पूर्व प्ररूप 5 में किया जाएगा। सदस्य सचिव, सीपीसीबी या सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकारी या इसके द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकरण पुनःचक्रणकर्ता को प्रदत्त पंजीकरण का, योग्यता आधार पर प्रत्येक मामले की जांच करने के बाद नवीकरण करेगा;
- (vi) सदस्य सचिव, सीपीसीबी या सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकारी या इसके द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकरण, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, पंजीकरण मंजूर करने से इंकार कर सकेगा।
- (vii) सदस्य सचिव, सीपीसीबी या सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकारी या इसके द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकरण, यदि उसकी राय में, पंजीकृत पुनःचक्रणकर्ता, पंजीकरण की किसी शर्त का या अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है तो वह उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के पश्चात् और तत्संबंधी कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, पंजीकरण को रद्द या निलंबित कर सकेगा।
- (viii) पंजीकरण प्रदान करते समय विहित की गई शर्तों के अनुपालन की निगरानी करना राज्य बोर्डों का उत्तरदायित्व होगा; और
- (ix) सदस्य सचिव, सीपीसीबी या सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट किसी अधिकारी या इसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अधिकरण के द्वारा पारित पंजीकरण के निलंबन या रद्दकरण या इंकार किए जाने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। यह अपील लिखित रूप में होगी और उसके साथ, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी एक प्रति लगाई जाएगी और वह आदेश पारित किए जाने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(2) ईपीआर-उत्पादकों का प्राधिकार

- (1) बैटरी/बैटरी युक्त उपकरण का प्रत्येक उत्पादक, प्राधिकार प्राप्त करने के लिए, एक राज्य में अपने उत्पाद के विक्रय के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति को या एक से अधिक राज्य में अपने उत्पाद के विक्रय के मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 3 में इन नियमों के लागू होने की तारीख से आरंभ करते हुए तीन महीने की अवधि के अंदर नियम 5(2)(ii) के अनुसरण में आवेदन करेगा।
- (2) अखिल भारतीय प्राधिकार के मामले में, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के प्रतिनिधि सदस्यों को शामिल करके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित एक समिति, राज्य विशिष्ट ईपीआर योजना का मूल्यांकन करने के पश्चात्, ऐसी पड़ताल, जो वह आवश्यक समझती है, करने के पश्चात् और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि उत्पादक ने देश में विस्तारित उत्पादक दायित्व का प्रबंधन करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली तैयार की है, एक सौ बीस दिन की अवधि के अंदर प्ररूप 3(ख) में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईपीआर-प्राधिकार प्रदान करने की सिफारिश करेगी। यह ईपीआर-प्राधिकार शुरूआत में पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।
- (3) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैसा भी मामला हो, यदि आवेदन के प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं होता है, आवेदक को सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ईपीआर-प्राधिकार प्रदान करने से इंकार कर सकेगा।

(4) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ईपीआर-प्राधिकार प्रदान करने के पश्चात्, राज्य विशिष्ट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के पास उनके क्रियान्वयन के लिए अग्रेषित करेगा।

(5) ईपीआर-प्राधिकार के नवीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र-3(क) में इसकी समाप्ति से कम से कम साठ दिन पहले किया जाएगा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर जांच करने के बाद और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अनुपालन रिपोर्ट जारी करने पर और इस शर्त के अधीन कि अधिनियम के उपबंधों और उनके तहत बनाए गए नियमों या ईपीआर-प्राधिकार में विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन की कोई सूचना नहीं है, ईपीआर-प्राधिकार का नवीकरण कर सकेगा।

(6) बैटरी/बैटरी युक्त उपकरण का प्रत्येक उत्पादक, जब कभी भी अपेक्षित हो, ईपीआर-प्राधिकार में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन हेतु सभी कदम उठाएगा।

(7) संबंधित राज्य के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र के मामले में प्रदूषण नियंत्रण समिति, बैटरी अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए ईपीआर-प्राधिकार के अंतर्गत लगायी गयी शर्तों के विवरण का उल्लेख वाला एक रजिस्टर रखेगी और यह ईपीआर-प्राधिकार के अनुपालन को मॉनीटर करेगी और अनुपालन न किए जाने का संज्ञान लेगी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई करने के लिए सूचित भी करेगी।

(3). विनिर्माता, आयातक, संयोजनकर्ता और मरम्मतकर्ता का प्राधिकार

(1) बैटरी अपशिष्ट उत्सर्जित करने वाला संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समिति से, जैसा भी मामला हो, एक प्राधिकार प्राप्त करना होगा।

(2) प्राधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को इन नियमों के आरंभ होने की तिथि से शुरू होने वाले तीन महीनों की अवधि के भीतर प्ररूप 2(क) में आवेदन करेगा;

(3) प्राधिकार हेतु हर प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समिति ऐसी जांच के बाद, जिसे वह उचित समझे और संतुष्ट होने के बाद कि आवेदक के पास बैटरी अपशिष्ट के सुरक्षित हथालन के लिए समुचित सुविधाएं, तकनीकी क्षमताएं और उपकरण हैं, आवेदक को नब्बे दिनों की अवधि में प्ररूप 2(ख) में केवल प्राधिकृत स्थान में सुरक्षित रूप से प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत प्रदान कर सकता है, जो पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समिति, आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद, यदि आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है, कोई भी प्राधिकार प्रदान करने से इंकार कर सकेगी।

(5) इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति, उसके द्वारा हथालन वाले बैटरी अपशिष्ट का प्ररूप 6 में रिकार्ड रखेगा और प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट विवरण का उल्लेख करते हुए एक वार्षिक विवरणी तैयार करेगा और उसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को उस वित्तीय वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के बाद आने वाली 30 जून को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा।

(6) किसी प्राधिकार के नवीकरण हेतु आवेदन प्ररूप 5 में इसकी समाप्ति से कम से कम साठ दिन पहले किया जाएगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर जांच करने के बाद और इस शर्त के अधीन कि अधिनियम के उपबंधों और उनके तहत बनाए गए नियमों अथवा प्राधिकार में विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन की कोई सूचना नहीं है, प्राधिकार का नवीकरण कर सकती है।

(7) जब कभी भी अपेक्षित हो, प्राधिकार में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन हेतु सभी कदम उठाएगा।

(8) संबंधित राज्य के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में प्रदूषण नियंत्रण समिति, बैटरी अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए इन नियमों के अंतर्गत लगायी गयी शर्तों के विवरण का उल्लेख वाला एक रजिस्टर रखेगी और यह किसी भी इच्छुक या प्रभावित व्यक्ति या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु खुला रहेगा।

(4) अधिकारों को निलंबित या रद्द करने की शक्तियां

(1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ शासित क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समिति, यदि उनकी यह राय है कि विनिर्माता, अधिकार प्राप्तकर्ता अधिकार की या अधिनियम के किसी प्रावधान या इन नियमों की किसी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहता है और उसे सफाई प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर देने के पश्चात और लिखित में इसके कारणों को रिकार्ड करने के पश्चात इन नियमों के अंतर्गत सार्वजनिक हित में आवश्यक समझे जाने वाली किसी भी अवधि के लिए जारी किए गए अधिकार को रद्द या निलंबित कर सकता है और रद्द करने के दस दिनों के भीतर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित कर सकता है;

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यदि उसकी यह राय है कि विस्तारित उत्पादक दायित्व अधिकार प्राप्तकर्ता अधिकार की या अधिनियम के किसी प्रावधान या इन नियमों की किसी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहता है और उसे सफाई प्रदान करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के पश्चात और लिखित में इसके कारणों की रिकॉर्डिंग करने के बाद इन नियमों के अंतर्गत सार्वजनिक हित में आवश्यक समझे जाने वाली किसी भी अवधि के लिए जारी किए गए ईपीआर अधिकार को रद्द या निलंबित कर सकता है और रद्द करने के दस दिनों के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को सूचित कर सकता है;

(3) अधिकारों के निलंबित या रद्द हो जाने के बाद, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ शासित क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समिति बैटरी का सुरक्षित भण्डारण करने हेतु उन व्यक्तियों को निर्देश दे सकती है जिनका अधिकार निलंबित कर दिया गया है और ऐसे व्यक्तियों को इस तरह के निर्देशों का पालन करना होगा।


[फा. सं. 12/36/2019-एचएसएमडी]

गीता मेनन , संयुक्त सचिव

अनुसूची-1**बैटरियों का वर्गीकरण**

प्राथमिक सेल या गैर-रिचार्जेबल बैटरियां	क्षारीय बैटरी, एल्युमिनियम-एयर बैटरी, एल्युमिनियम-ऑयन बैटरी, परमाणु बैटरी, (बीटावोल्टक्स, ऑप्टोइलेक्ट्रिक परमाणु बैटरी, परमाणु माइक्रो बैटरी), बन्सन सेल, क्रोमिक एसिड सेल (पोगनड्रोफ सेल), क्लार्क सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, अर्थ बैटरी, फ्रॉग बैटरी, गैल्वेनिक सेल, ग्रोव सेल, लेक्लेन्च सेल, लेमन/पॉटेटो बैटरी, लिथियम बैटरी, लिथियम एयर बैटरी, मैग्नीशियम बैटरी, पारा बैटरी, मोल्टन साल्ट बैटरी, निकल ऑक्सीहाइड्रॉक्साइड बैटरी (ऑक्सीराइड बैटरी), ऑर्गेनिक रेडिकल बैटरी, पेपर बैटरी, पुलवर्मचेर की चेन, सिल्वर-ऑक्साइड बैटरी, सॉलिड-स्टेट बैटरी, वोल्टेइक पाइल (पेनी बैटरी, ट्राउट बैटरी, वाटर-एक्टिवेटेड बैटरी, वेस्टन सेल, जिंक-एयर बैटरी, जिंक-कार्बन बैटरी,) जिंक-कार्बन क्लोराइड बैटरी।
माध्यमिक सेल या रिचार्जेबल बैटरियां	फ्लो बैटरी (वैनेडियम रिडॉक्स बैटरी, जिंक-ब्रोमीन बैटरी, जिंक-सेरियम बैटरी), लेड-एसिड बैटरी (डीप साइकिल बैटरी, वीआरएलए बैटरी, एजीएम बैटरी, जेल बैटरी), लिथियम एयर बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, (लिथियम आयन लिथियम) कोबाल्ट ऑक्साइड बैटरी (आईसीआर), लिथियम ऑयन मैंगनीज ऑक्साइड बैटरी (आईएमआर), लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी, लिथियम आयन फ्रॉस्फेट बैटरी, लिथियम-सल्फर बैटरी, लिथियम-टिटैनियम बैटरी, महीन फ़िल्म लिथियम-आयन बैटरी, मैग्नीशियम-आयन बैटरी, मोल्टन-साल्ट बैटरी, निकल-कैडमियम बैटरी, (निकल-कैडमियम बैटरी, वीटूड सेल प्रकार), निकल हाइड्रोजन बैटरी, निकल-ओरियन बैटरी, निकल धातु हाइड्राइड बैटरी (कम स्व निर्वहन एनआईएमएच बैटरी), निकल-जस्ता बैटरी, कार्बनिक मूल बैटरी , पॉलीमर-आधारित बैटरी, पॉलीसल्फाइड ब्रोमाइड बैटरी, पोटेथियम-आयन बैटरी, रिचार्जेबल क्षारीय बैटरी, रिचार्जेबल ईंधन बैटरी, सिलिकॉन एयर बैटरी, सिल्वर-जस्ता बैटरी, सिल्वर कैल्शियम बैटरी, सोडियम-आयन बैटरी, सोडियम-सल्फर बैटरी, सुगुर बैटरी, सुपर आयन बैटरी, अल्ट्रा बैटरी।

तालिका - 2 : विनियमों और अधिदेशों की सीमा में बैट्रियों का वर्गीकरण



(उच्च ऊर्जा घनत्व वाली बैट्रियां)

रिमोट कंट्रोल, घड़ियां और रेडियो, डिजिटल कैमरा, हाथ से खेले जाने वाले खिलौने, एमपी3 प्लेयर आदि

(भारी बजन वाली प्रयोगशाला बैट्रियां)

मोटर-वाहनों स्टार्टिंग लाइटनिंग और प्रज्वलित (एसएलआई) करने वाली प्रणालियों, हाई एन्ड सर्वरों के लिए पॉवर सप्लाय बैकअप वाली बैट्रियां, पर्सनल कम्प्यूटर, टेलीफोन एक्सचेंज और इन्वर्टरों वाले इन ऑफ ग्रिड होम्स बैट्रियां। पोर्टेबल इमरजेंसी लाइटों में भी लैड एसिड बैट्रियां उपयोग होती हैं।

अनुसूची-II



अनुसूची-III

विस्तारित उत्पादक दायित्व हेतु लक्ष्यों का प्राधिकार

सं.	वर्ष	बैटरी-अपशिष्ट एकत्रण हेतु लक्ष्य (संख्या/वजन)
i.	नियमों के कार्यान्वयन के पहले दो वर्ष के दौरान	विस्तारित उत्पादक दायित्व योजना में यथानिर्दिष्ट अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 30%
ii.	नियमों के कार्यान्वयन के तीसरे और चौथे वर्ष के दौरान	विस्तारित उत्पादक दायित्व योजना में यथानिर्दिष्ट अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 40%
iii.	नियमों के कार्यान्वयन के पांचवे और छठे वर्ष के दौरान	विस्तारित उत्पादक दायित्व योजना में यथानिर्दिष्ट अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 50%
iv.	नियमों के कार्यान्वयन के सातवें वर्ष से	विस्तारित उत्पादक दायित्व योजना में यथानिर्दिष्ट अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 70%

लैड एसिड बैटरियों के लिए लक्ष्य

सं.	वर्ष	बैटरी-अपशिष्ट एकत्रण हेतु लक्ष्य (संख्या/वजन)
i.	नियमों के कार्यान्वयन के पहले दूसरे वर्ष के दौरान	मात्रा का 90%
ii.	नियमों के कार्यान्वयन के तीसरे और चौथे वर्ष के दौरान	मात्रा का 100%

प्ररूप - 1

(प्ररूपों की विधिक्षा और प्रारूपण किया जा रहा है)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th February, 2020

S.O. 770(E).—The following draft rules which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), in supersession of the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section 3(ii), vide number S.O.1035(E) dated 16th May 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 or electronically at email address: m.gangeya@gov.in; ad.raju@nic.in.

Draft rules

1. Short title- These rules may be called the **Battery Waste Management Rules, 2020.**

2. Application—

These rules shall apply to:

(1) Every manufacturer, producer, collection center, importer, re-conditioner, re-furbisher, dismantler, assembler, dealer, recycler, auctioneer, vehicle service center, consumer and bulk consumer involved in manufacture, processing, sale, purchase, collection, storage, re-processing and use of batteries or components there of including their components, consumables and spare parts which make the product operational;

(2) all types of batteries as listed in Schedule-I, regardless of their shape, volume, weight, material composition or use;

(3) all appliances into which a battery is or may be incorporated.

(4) These Regulations do not apply to batteries used in:

- i. Equipment connected with the protection of the essential security interests such as arms, ammunitions and war material, and intended specifically for military purposes;
- ii. Equipment designed to be sent into space (space exploration)
- iii. Emergency and alarm systems;
- iv. Emergency lighting; and
- v. Medical Equipment

(5) The import, export of battery waste; hazardous waste generated in the establishment of users stated in Rule 2(1) shall be handled as per the provisions under Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008.

3. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires, -

(1) 'Act' means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(2) 'assembler' -means a person who manufactures batteries by assembling various components;

(3) 'auction' - means bulk sale of used batteries or component(s) thereof by invitation of tenders or auction, contract or negotiation by individual(s), companies or Government Departments;

(4) 'auctioneer'- means a person (s) who auctions used batteries or components, thereof,

(5) 'authorization' - means permission for handling, collection, reception, storage, transportation, dismantling, recycling, treatment and disposal of batteries;

- (6) 'battery' or "accumulator" means any source of electrical energy generated by direct conversion of chemical energy and includes disposable primary (Alkaline/Mercury/Silver oxide/Zinc Carbon) batteries or rechargeable secondary (Lead Acid/Lithium Ion/Lithium Metal/Nickel Cadmium) batteries or any other battery which is a source of electrical energy and contains (or may produce at end of its life) potassium hydroxide or sodium hydroxide or ammonium chloride or zinc chloride or sulfuric acid or pressurized sulfur dioxide gas or thionyl chloride or magnesium bromide or magnesium perchlorate or mercury or zinc or cadmium or nickel or lithium chloride or any other hazardous material as defined in Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- (7) "battery pack" means any set of batteries or accumulators that are connected or encapsulated within an outer casing so as to form a complete unit that the end-user is not intended to split up or open;
- (8) 'bulk consumer' means a consumer such as Central Government, Railways, Defense, Telecom, Posts and Telegraph, departments of State Government, public sector undertakings, Boards, banks, educational institutions, multinational organizations, international agencies and public or private companies that are registered under the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and Companies Act, 2013 (18 of 2013) and health care facilities which have turnover of more than one crore or have more than twenty employees and other agencies or companies who purchase hundred or more than hundred batteries per annum.;
- (9) 'Central Pollution Control Board' means the Central Pollution Control Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
- (10) 'collection centre' means a centre established either individually or as association jointly by the manufacturers, producers, importers, assemblers or the dealers to collect battery waste, in pursuance of their responsibilities under rule-5(2)(ii) of these rules and as indicated in the authorization for Extended Producer Responsibility granted to the Producer by Central Pollution Control Board;
- (11) 'component' means one part of the sub assembly or assembly which makes up the battery product. These parts may be hazardous or nonhazardous in nature;
- (12) 'consumer' means a person using batteries excluding bulk consumers;
- (13) 'channelization' means to direct the path for movement of waste batteries after collection to registered dismantler or registered recycler;
- (14) 'dealer' means any individual or firm that buys or-sells batteries or components from the producers or manufacturers or importers or assemblers or retailers or consumers or otherwise for sale or wholesale and/or retail selling to individual or bulk consumer;
- (15) 'dismantler' means any person or registered society or a designated agency or a company or an association engaged in dismantling of used batteries into their components and having facilities as per the guidelines made by Central Pollution Control Board;
- (16) 'disposal' means any operation which does not lead to recycling, recovery or reuse and includes physico-chemical or biological treatment, incineration and deposition in secured landfill;
- (17) 'environmentally sound management of battery waste' means taking all steps required to ensure that batteries are managed in a manner which shall protect health and environment against any adverse effects, which may result from hazardous substance contained in such wastes;
- (18) 'Extended Producer Responsibility' (EPR) means responsibility of any producer of batteries for their products beyond manufacturing until environmentally sound management of their end-of-life products; for channelization of waste batteries to ensure environmentally sound management of such waste. Extended Producer Responsibility may comprise of implementing take back system or setting up of collection centres or both and having agreed arrangements with registered recycler either individually or collectively through a Producer Responsibility Organization recognized by producer or producers in their Extended Producer Responsibility - Authorization;
- (19) 'EPR-Authorization' means a permission given by Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board to a producer, for managing Extended Producer Responsibility with State specific implementation plans and targets outlined in such authorization including detail of Producer Responsibility Organization (PRO) and other details wherever applicable;

- (20) 'EPR management' means setting up an effective waste battery channelization system comprising of setting up collection centres, implementing take back system, agreements with registered dismantler or registered recycler either individually or collectively or through a Producer Responsibility Organization (PRO);
- (21) 'Extended Producer Responsibility Plan' means a plan submitted by a producer to Central Pollution Control Board, at the time of applying for Extended Producer Responsibility - Authorization in which a producer shall provide details of waste battery channelization system for targeted collection including details of Producer Responsibility Organization;
- (22) 'facility' means any location wherein the process incidental to the collection, reception, storage, segregation, refurbishing, dismantling, recycling, treatment and disposal of waste battery are carried out;
- (23) 'form' means form appended to these rules;
- (24) 'importer' means a person who imports new batteries or components thereof for the purpose of sale or manufacturing;
- (25) 'industrial battery' means any battery or battery pack which is—designed exclusively for industrial or professional uses, used as a source of power for propulsion in an electric vehicle, unsealed but is not an automotive battery, or sealed but is not a portable battery;
- (26) 'manufacturer' means a person or an entity or a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a factory as in the Factories Act, 1948 (63 of 1948) which has facilities for manufacture of battery or components thereof;
- (27) 'original equipment manufacturer (OEM)' means manufacturer of equipment or product using batteries as a component;
- (28) "portable battery" means any battery or battery pack which is sealed, can be hand-carried by an average natural person without difficulty, and is neither an automotive battery nor an industrial battery;
- (29) 'producer' means any person who, irrespective of the selling technique used, engaged in;
- i. manufactures and offers to sell batteries and their components or consumables or parts or spares under its own brand; or
 - ii. manufactures or offers to sell equipment / product using a battery or batteries as a component under its own brand; or
 - iii. offers to sell under their own brand, assembled batteries and their components or consumables or parts or spares produced by other manufacturers or suppliers; or
 - iv. offers to sell imported batteries and their components or consumables or parts or spares;
- (30) 'Producer Responsibility Organization (PRO)' means a professional organization authorized or financed collectively or individually by producers, which can take the responsibility for collection and channelization of battery waste generated from the 'end-of-life' of their products to ensure environmentally sound management of battery waste;
- (31) 're-conditioner' means a person involved in repairing of batteries for selling the same in the market;
- (32) 'recycler' means any person who is engaged in recycling or reprocessing of waste batteries or their components and having facilities as elaborated in the guidelines made by Central Pollution Control Board;
- (33) 'registered recycler' means a recycler registered with the Ministry of Environment and Forests or an agency designated by it for reprocessing used batteries or components thereof;
- (34) 'refurbishment' means repairing of used batteries for extending its working life for its originally intended use and selling the same in the market or returning to owner;
- (35) 'refurbisher', for the purpose of these rules, means any person who is engaged in refurbishment;

- (36) 'Schedule' means the Schedule appended to these rules;
- (37) 'State Government in relation to a Union territory means, the Administrator thereof appointed under article 239 of the Constitution;
- (38) 'State Board' means the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee as the case may be;
- (39) 'used batteries' means exhausted, damaged and old batteries or components thereof;
- (40) 'battery waste ' means battery and its components thereof, whole or in part discarded as waste by the consumer or bulk consumer as well as rejects from manufacturing, refurbishment and repair processes;

Note: *the words not defined in these rules will have the same meaning as defined in the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules framed there under.*

CHAPTER II

4. Prohibitions and labelling requirements

(1) Prohibitions on heavy metal content in the batteries

- (i) No person shall place on the market -
- (a) a battery that contains more than 0.0005% (5 ppm) of mercury by weight;
 - (b) a portable battery that contains more than 0.002% of cadmium by weight
- (ii) The prohibition in paragraph (1)(i)(a) shall not apply to a button cell with mercury content of not more than 2% by weight.
- (iii) The prohibition in paragraph (1)(i)(b) shall not apply to a portable battery intended for use in :
- a. emergency and alarm systems, including emergency lighting;
 - b. medical equipment; or
- (2) a cordless power tool marked with crossed out wheeled bin symbol
- (i) No person shall place on the market any battery or battery pack unless it is marked with the "crossed out wheeled bin symbol" as shown in Schedule II covering at least 5% of the area of the largest side of the battery or battery pack.
- (ii) In the case of cylindrical cells, the crossed out wheeled bin symbol shall cover at least 2 % of the surface area of the battery or battery pack.
- (iii) Where the size of the battery or battery pack is such that the crossed out wheeled bin symbol would be smaller than 0.5 x 0.5 centimeters, the battery or battery pack need not be marked but a crossed out wheeled bin symbol measuring at least 1 x 1 centimeter shall be printed on the packaging.
- (iv) The crossed out wheeled bin symbol shall be printed visibly, legibly and indelibly.

(3) Marking with mercury, cadmium and lead symbols

- (i) No person shall place on the market—
- (a) a button cell containing more than 0.0005% of mercury by weight unless it is marked with the chemical symbol "Hg";
 - (b) a battery containing more than 0.002% of cadmium by weight unless it is marked with the chemical symbol "Cd";
 - (c) a battery containing more than 0.004% of lead by weight unless it is marked with the chemical symbol "Pb".
- (ii) Each of the chemical symbols mentioned in paragraph (1) shall—
- (a) be printed beneath the crossed out wheeled bin symbol;
 - (b) cover an area of at least one quarter the size of that symbol; and
 - (c) be printed visibly, legibly and indelibly.

CHAPTER III

5. Responsibilities

(1) **Responsibilities of manufacturer, importer, assembler and re-conditioner.**- It shall be the responsibility of a manufacturer, importer, assembler and re- conditioner to :

- (i) ensure that the used batteries are collected back as per the Schedule against new batteries sold excluding those sold to original equipment manufacturer and bulk consumer(s);
- (ii) ensure that used batteries collected back are of similar type and specifications as that of the new batteries sold;
- (iii) file annual return of their sales and buy-back to the State Board in Form- 1 latest by 31stDecember of every year;
- (iv) set up collection centers either individually or jointly at various places for collection of used batteries from consumers or dealers;
- (v) ensure that used batteries collected are sent only to the registered recyclers;
- (vi) ensure that necessary arrangements are made with dealers for safe transportation from collection centres to the premises of registered recyclers;
- (vii) ensure that no damage to the environment occurs during transportation of used batteries and no acid should be drained in case of used lead acid batteries;
- (viii) create public awareness through advertisements, publications, posters or by other means with regard to the following:
 - a. hazards of Lead, Cadmium and Mercury; (other elements)
 - b. obligation of consumers to return their used batteries only to the dealers or deliver at collection centres; and
 - c. addresses of dealers and collection centres.
 - d. information on hazards of improper handling, disposal, accidental breakage, damage or improper recycling of batteries;
 - e. instructions for handling and disposal of the equipment after its use, along with the Do's and Don'ts;
- (ix) use the international recycling sign on the Batteries;
- (x) buy recycled lead, (other elements....) only from registered recyclers;
- (xi) bring to the notice of the State Board or the Ministry of Environment, Forests and Climate Change any violation by the dealers.
- (xii) ensure that the new batteries shall be sold only to the dealers, bulk consumers and OEMs registered with CPCB or any agency designated by it.

Note : The assembler and reconditioners are excluded from the purview of responsibilities as specified in sub-clauses (iv), (vii), (ix) and (xii)

(2) **In addition to the above responsibilities, specific responsibilities are :**

(i) **Manufacturer:** It shall be the responsibility of a manufacturer to

- (a) collect hazardous waste generated during the manufacture of any battery and channelize it for recycling or disposal;
- (b) apply for an authorization in Form 2(A) in accordance with the procedure prescribed under rule 8(3) from the concerned State Pollution Control Board, which shall give the authorization in accordance with Form 2(B);
- (c) maintain records of battery waste generated, handled and disposed in Form 6 and make such records available for scrutiny by the Concerned State Pollution Control Board;
- (d) file annual returns in Form 1, to the concerned State Pollution Control Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates.

(ii) Producer: It shall be the responsibility of a producer to

(a) implement the Extended Producers Responsibility with the following frameworks, namely:-

(i) individual producer shall seek EPR-Authorization from Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board, as the case may be, in accordance with the Form 3(A);

(ii) collection and channelization of waste batteries at end of life of batteries or end of life of equipment containing battery in line with the targets prescribed in Schedule III in Extended Producer responsibility Authorization.

(iii) the mechanism used for channelization of used batteries including those from registered recycler should be in accordance with the Extended Producer Responsibility Authorization.

(iv) Extended Producer Responsibility Authorisation should comprise of general scheme for collection of waste batteries and Electronic Equipment (containing battery) placed on the market earlier, such as through dealer, collection centers, Producer Responsibility Organisation, through buy-back arrangement, exchange scheme, etc. whether directly or through any authorised agency and channelizing the items so collected to authorised recyclers;

(v) providing contact details such as address, e-mail address, toll-free telephone numbers or helpline numbers to consumer(s) or bulk consumer(s) through their website and product user documentation so as to facilitate return of waste batteries;

(vi) creating awareness through media, publications, advertisements, posters, or by any other means of communication and product user documentation accompanying the battery or battery containing equipment, with regard to -

(vii) information on hazardous constituents of the batteries;

(viii) information on hazards of improper handling, disposal, accidental breakage, damage or improper recycling of batteries;

(ix) instructions for handling and disposal of the equipment after its use, along with the Do's and Don'ts;

(x) affixing a visible, legible and indelible symbol given below on the products or product user documentation to prevent waste batteries from being dropped in garbage bins containing waste destined for disposal;

(xi) means and mechanism available for their consumers to return waste batteries for recycling;

(xii) the producer shall opt to implement Extended Producer Responsibility individually or collectively. In individual producer responsibility, producer may set up their own collection centre or implement take back system or both to meet Extended Producer Responsibility. In collective system, producers may tie-up as a member with a Producer Responsibility Organisation or with a waste exchange or both. It shall be mandatory upon on the individual producer in every case to seek Extended Producer Responsibility - Authorization from Central Pollution Control Board in accordance with the Form -3(B) and the procedure laid down in rule 8(2);

(b) to provide information on collection of end-of-life products and their channelization to authorized dismantlers or registered recyclers, if such scheme is included in the Extended Producer Responsibility Plan.

(c) provided that the producer shall refund the deposit amount that has been taken from the consumer or bulk consumer at the time of sale, along with interest at the prevalent rate for the period of the deposit at the time of take back of the end-of-life product;

(iii) Dealers : It shall be the responsibility of a dealer to

(a) every dealer shall collect the battery waste by providing the consumer a box, bin or a demarcated area to battery waste, or through take back system on behalf of producer;

(b) ensure that the number of used lead acid batteries (other batteries.....) replace 100% of new Lead Acid batteries (other batteries.....) sold to the consumer. New Batteries should be sold on proper GST invoice.

- (c) raise an invoice in respect of every used battery received from the consumer (unregistered person) under section 31 (3) (F) and pay tax under sub-section 3 or sub-section 4 of Section 9 of CGST Act 2017 as amended from time to time. Further as per section 31 (3)(g), a registered person who is liable to pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier;
- (d) ensure that used batteries collected back are of similar type and specifications as that of the new batteries sold;
- (e) every dealer shall make an application in Form 2 (c) to the concerned State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees for grant of one-time registration;
- (f) the registered dealer shall submit details of battery waste collected to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committees on yearly basis and registration would be liable for cancellation on failure to furnish these details to the State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees; provided that the registration granted to the dealer shall not be cancelled unless they have been given a reasonable opportunity of hearing;
- (g) shall maintain records of the battery waste handled in Form 6 and such records should be available for scrutiny by the appropriate Authority;
- (h) File annual returns of the sale of new batteries and buy-back of old batteries to the manufacturer as well as State Pollution Control Board in Form 1 by 31st May and 30th November of every year;
- (i) ensure safe transportation of collected batteries to the registered collection centers or to the registered recyclers or to the manufacturer.
- (j) shall ensure that no damage is caused to the environment during storage and transportation of used batteries and no acid should be drained in case of lead acid batteries
- (k) registration with State Pollution Control Board for five years and a provision of cancellation for failure in collection of the required number of used batteries as per the said rules, non-submission of timely annual returns to the State Pollution Control Boards, renewal of the registration shall be as per the compliance status, to submit details as per Form 1, registration would be considered as deemed registered if not objected to within thirty days; provided that the registration granted to the dealer shall not be cancelled unless he has been given a reasonable opportunity of hearing;
- (ii) an appeal shall lie against any order of suspension or cancellation or refusal of registration passed by the Member Secretary of the State Pollution Control Board or any other officer designated by the State Pollution Control Board;
- (iii) the appeal shall be in writing and shall be accompanied with a copy of the order appealed against and shall be made within period of thirty days from the date of passing of the order.
- (iv) Recycler :** It shall be the responsibility of a recycler to
- (a) apply for registration to the MoEFCC or an agency designated by it if not applied already, by submitting information in Form 2(C);
- (b) submit annual returns as per Form 1 prescribed under the said rules to State Pollution Control Board/Committee by 30th June and 31st December for every year;
- (c) make available all records relating to receipt of used batteries, sources, quantities and metal yield to be submitted to the State Pollution Control Board/Pollution Control Committees for inspection;
- (d) mark "Recycled" on metal recovered by re-processing;
- (e) create public awareness through advertisements, publications, posters or others with regard to the following :
- hazard of heavy metals
 - obligation of consumers to return used batteries only to the registered dealers or deliver at the designated collection centers.
- (f) Ensure strict compliance of the terms and conditions of registration; however, those already registered with CPCB or agency designated by it for reprocessing used batteries would be bound by the terms and conditions of such registration;
- (g) Central recycling facilities to be developed with capacity greater than 10,000 tons/year so as to make adequate pollution control which is cost effective.

(v) Consumer or Bulk Consumer : It shall be the responsibility of a consumer & bulk consumer to

(a) Consumers are required to ensure that used batteries are not disposed of in any manner other than depositing with the seller or in demarcated areas from whom the consumer has bought the new battery;

(b) The consumer shall take proper GST invoice in respect of new battery purchased from the dealer. Additionally Consumer shall receive an invoice from the dealer in respect of every used battery sold under section 31 (3) (f) along with payment voucher under section 31(3) (g) for tax paid under sub-section (3) or sub-section (4) from dealer under CGST Act, 2017

(c) The bulk consumer shall get registered with State Pollution Control Board. It shall be the responsibility of bulk consumer that scrap batteries are not disposed off in any manner other than depositing it to registered recyclers;

(d) The bulk consumer shall file annual return in Form 1 to the State Pollution Control Board. Further, bulk consumer shall provide data of new batteries purchased and old batteries sold with their tariff heading and GSTN.

(e) Bulk consumers or their user units may go to contract or auction for used batteries to registered recyclers only. Bulk consumers are also required to keep a record of valid license of registered recyclers with whom scrap batteries are being deposited.

(vi) Auctioneer: It shall be the responsibility of an auctioneer to

(a) the auctioneer shall be registered with State Pollution Control Board

(b) ensure that used batteries are auctioned to the registered recyclers only;

(c) file annual return of their auctions to the State Boards in Form 1 and

(d) maintain a record of such auction and make these records available to the State Board for inspection.

(vii) Importer : It shall be the responsibility of an importer to

(a) the importer shall get registered as per Form-2(C) with Central Pollution Control Board for a period of five years and a provision of cancellation for failure in collection of the required number of used batteries as per the said rules, non- submission of timely annual returns to the State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees with a copy to Central Pollution Control Board, renewal of the registration shall be as per the compliance status, provided that the registration granted to the importer shall not be cancelled unless he has been given a reasonable opportunity of hearing;

(b) an appeal shall lie against any order of suspension or refusal of registration passed by the Member Secretary of the Central Pollution Control Board or any other officer designated by Central Pollution Control Board;

(c) the appeal shall be in writing and shall be accompanied with a copy of the order appealed against and shall be made within period of thirty days from the date of passing the order.

(viii) State Pollution Control Board/Pollution Control Committee: It shall be the responsibility of State Pollution Control Board/Pollution Control Committee to

(a) the State Board is the prescribed authority for ensuring compliance of the provisions of these rules; and

(b) it shall file annual compliance status report to the Central Pollution Control Board by 30th of April every year.

(c) State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees shall register the dealer on one-time basis and registration would be deemed as considered if not objected to within a period of thirty days;

(d) Periodic monitoring of all the recycling facilities

(e) Periodic audit of data of new batteries purchased and old batteries sold from GST portal in case of Bulk Consumers

(ix) Central Pollution Control Board :It shall be the responsibility of Central Pollution Control Board to

(a) Compile and publish the data received every year from the State Boards.

(b) Review the compliance of the rules periodically to improve the collection and recycling of used batteries and appraise MoEFCC.

- (c) Preparation of Guidelines/SOPs for battery recycling facilities
 - (d) Standardization of technologies for all types of battery recycling
 - (e) Technology transfers
 - (f) Standards for battery waste recycling and waste disposal out of recycling facilities
 - (g) Establishment of R&D cell for battery recycling.
 - (h) Authorization of producers..... etc under EPR
- (x) **Collection Centers :** It shall be the responsibility of Collection Centers to
- (a) get registered with State Pollution Control Board/Pollution Control Committee. The Form No. and validity should also be mentioned;
 - (b) ensure that the facilities are in accordance with the standards or guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board from time to time;
 - (c) battery waste collected is stored in a secured manner till it is sent to registered dismantler or registered recycler as the case may be;
 - (d) ensure that no damage is caused to the environment during storage and transportation of battery waste and no acid should be drained in case of lead acid batteries;
 - (e) maintain records of the battery waste handled in Form 6 and make such records available for scrutiny by the State Pollution Control Board/Pollution Control Committee.
 - (f) Certain used batteries when disposed may contain residual charge. Such used batteries after being verified may be handed over to suitable agencies like start up organizations and other firms where these batteries can be used till they discharge completely.
- (xi) **Dismantler :** It shall be the responsibility of Dismantler to
- (a) to get registered with State Pollution Control Board/Pollution Control Committee as a recycler for refining and recovery of materials.
 - (b) ensure that no damage is caused to the environment during storage and transportation of battery waste;
 - (c) ensure that the dismantling processes do not have any adverse effect on the health and the environment;
 - (d) ensure that dismantled battery waste are segregated and sent to the registered recycling facilities for recovery of materials;
 - (e) ensure that non-recyclable or non-recoverable components are sent to authorized treatment storage and disposal facilities;
 - (f) Maintain record of battery waste collected, dismantled and sent to the authorized recycler.
 - (g) file annual return in Form 1, to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee concerned as the case may be, on or before 30th June every year;
- (xii) **Customs Clearance:** Customs clearance on imports of new batteries shall be contingent upon
- (1) valid registration with the Reserve Bank of India (with Importer's Code Number);
 - (2) one-time registration with the CPCB or an agency designated by it in Form 2(C);
 - (3) undertaking in Form 2(D) and
 - (4) a copy of the latest annual return in Form-1

7. Computerization of Records and Returns: CPCB or an agency designated by it shall develop a system for computerized tracking of

- (1) distribution and sale of batteries;
- (2) collection, auction, transport and re-processing of used batteries;
- (3) sale of re-processed lead by registered recyclers; and
- (4) sale of lead from all domestic producers or importers.
- (5) Data validation can be done by using information from GSTN portal where all data (sales and purchase) are recorded on HSN code basis/ GSTN Number basis

CHAPTER IV**8. Procedure for seeking authorization and registration for handling battery wastes****(1) Procedure for registration / renewal of registration of recyclers.**

(i) Every recycler of used batteries shall make an application in Form 2(C) along with the following documents to the Member Secretary, CPCB or an agency designated by it for grant of registration or renewal;

- (a) a copy of the valid consents under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended;
- (b) a copy of the valid authorisation under Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 2016 as amended;
- (c) a copy of valid certificate of registration with District Industries Centre ; and
- (d) a copy of the proof of installed capacity issued by either State Pollution Control Board/District Industries Centre.

(ii) The Member Secretary, CPCB or any officer designated by the CPCB or an agency designated by it shall ensure that the recyclers possess appropriate facilities, technical capabilities, and equipment to recycle used batteries and dispose of hazardous waste generated;

(iii) The Member Secretary, CPCB or any officer designated by the CPCB or an agency designated by it shall take decision on application for registration within 90 days of receipt of application form with complete details;

(iv) The registration granted under this rule shall be in force for a period of three years from the date of issue or from the date of renewal unless suspended or cancelled earlier;

(v) An application for the renewal of registration shall be made in Form 5 at least six months before its expiry. The Member Secretary, CPCB or any officer designated by the CPCB or an agency designated by it shall renew the registration of the recycler granted after examining each case on merit;

(vi) The Member Secretary, CPCB or any officer designated by the CPCB or an agency designated by it may, after giving reasonable opportunity to the applicant of being heard, refuse to grant registration;

(vii) The Member Secretary, CPCB or any officer designated by the CPCB or an agency designated by it may cancel or suspend a registration issued under these rules, if in his / her opinion, the registered recycler has failed to comply with any of the conditions of registration, or with any provisions of the Act or rules made thereunder after giving an opportunity to explain and after recording the reasons therefor;

(viii) It shall be the responsibility of the State Boards to monitor the compliance of conditions according as per the clause of registration, and

(ix) An appeal shall lie against any order of suspension or cancellation or refusal of registration passed by the Member Secretary, CPCB or any officer designated by the CPCB or agency designated by it. The appeal shall be in writing and shall be accompanied with a copy of the order appealed against and shall be presented within 30 days of passing of the order.

(2) EPR-Authorization of Producers

(1) Every producer of battery/battery containing equipment shall make an application for EPR-Authorisation in accordance with rule 5(2)(ii) within a period of three months starting from the date of commencement of these rules in Form 3 to State Pollution Control Board Pollution Control Committees in case of selling their product in one state or Central Pollution Control Board, in case selling their product in more than one state, for grant of authorization;

(2) In case of pan India authorization, on receipt of the application complete in all respects, a committee constituted by Central Pollution Control Board with the representative members of State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees, after evaluating the State specific EPR Plan, after such an enquiry as it considers necessary and on being satisfied that the producer has detailed out an effective system to manage Extended Producer Responsibility in the country, shall recommend granting EPR- Authorisation by Central Pollution Control Board, in Form- 3(B) within a period of one hundred and twenty days. The EPR-Authorization shall be valid initially for a period of five years;

- (3) The Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board, as the case may be, after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant may refuse to grant EPR-Authorization if not satisfied with the response of the applicant;
- (4) The Central Pollution Control Board after grant of EPR-Authorisation shall forward the State specific Extended Producer Responsibility Plan to respective State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees for their implementation;
- (5) An application for the renewal of EPR-Authorisation shall be made in Form-3(A) before sixty days of its expiry and the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board, as the case may be, may renew the authorization after examining each case on merit and on issuance of compliance report by the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committees and subject to the condition that there is no report of violation of the provisions of the Act or the rules made there under or the conditions specified in the EPR-Authorisation;
- (6) Every producer of battery/battery containing equipment shall take all steps, wherever required, to comply with the conditions specified in the EPR-Authorisation;
- (7) The State Pollution Control Board in case of a respective State or the Pollution Control Committee in case of Union territories shall maintain a register containing particulars of the conditions imposed under EPR-Authorization for environmentally sound management of battery waste, and it shall monitor the compliance of EPR- Authorization and take cognizance of any non-compliance and also inform Central Pollution Control Board about the action taken.

(3) Authorisation of Manufacturer, importer, assembler and re-conditioner

- (1) generating battery waste shall obtain an authorisation from the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of Union territories concerned as the case may be;
- (2) shall make an application, within a period of three months starting from the date of commencement of these rules in Form 2(A) to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee for grant of authorisation;
- (3) On receipt of the application complete in all respects for the authorisation, the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of Union territories may, after such enquiry as it considers necessary and on being satisfied that the applicant possesses appropriate facilities, technical capabilities and equipment to handle battery waste safely, grant within a period of ninety days an authorisation in Form-2(B) to the applicant to carry out safe operations in the authorised place only, which shall be valid for a period of five years;
- (4) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of the Union territories after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant may refuse to grant any authorisation if not satisfied with the clarifications of the applicant;
- (5) Every person authorised under these rules shall maintain the record of battery waste handled by them in Form 6 and prepare and submit to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, an annual return containing the details specified in Form 1 on or before 30th day of June following the financial year to which that return relates;
- (6) An application for the renewal of an authorisation shall be made in Form-5 before sixty days of its expiry and the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee may renew the authorization after examining each case on merit and subject to the condition that there is no report of violation of the provisions of the Act or the rules made thereunder or the conditions specified in the authorisation;
- (7) shall take all steps, wherever required, to comply with the conditions specified in the authorisation;
- (8) The State Pollution Control Board in case of a respective State or the Pollution Control Committee in case of Union territories shall maintain a register containing particulars of the conditions imposed under these rules for environmentally sound management of battery waste, and it shall be open for inspection during office hours to any person interested or affected or a self-authorized person.

(4) Power to suspend or cancel an authorization

(1) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of the Union territories may, if in its opinion, the holder of Manufacturer Authorisation has failed to comply with any of the conditions of the authorization or with any provisions of the Act or these rules and after giving a reasonable opportunity of being heard and after recording reasons thereof in writing cancel or suspend the authorisation issued under these rules for such period as it considers necessary in the public interest and inform Central Pollution Control Board within ten days of cancellation;

(2) The Central Pollution Control Board, if in its opinion, the holders of the EPR Authorisation has failed to comply with any of the conditions of the authorization or with any provisions of the Act or these rules and after giving a reasonable opportunity of being heard and after recording reasons thereof in writing cancel or suspend the EPR- Authorization issued under these rules for such period as it considers necessary in the public interest and inform State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees within ten days of cancellation;

(3) Upon suspension or cancellation of the authorisation, the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of the Union territories may give directions to the persons whose authorisation has been suspended or cancelled for the safe storage of the battery waste and such persons shall comply with such directions.


[F. No. 12/36/2019-HSMD]

GEETA MENON, Jt. Secy.

SCHEDULE-I**Classification of batteries**

Primary cells or non-rechargeable batteries	Alkaline battery, Aluminium–air battery, Aluminium-ion battery, Atomic battery (Betavoltaics, Optoelectric nuclear battery, Nuclear micro-battery), Bunsen cell, Chromic acid cell (Poggendorff cell), Clark cell, Daniell cell, Dry cell, Earth battery, Frog battery, Galvanic cell, Grove cell, Leclanché cell, Lemon/potato battery, Lithium battery, Lithium air battery, Magnesium battery, Mercury battery, Molten salt battery, Nickel oxyhydroxide battery (Oxyride battery), Organic radical battery, Paper battery, Pulvermacher's chain, Silver-oxide battery, Solid-state battery, Voltaic pile (Penny battery, Trough battery), Water-activated battery, Weston cell, Zinc–air battery, Zinc–carbon battery, Zinc chloride battery.
Secondary cells or Rechargeable batteries	Flow battery (Vanadium redox battery, Zinc–bromine battery, Zinc– cerium battery), Lead–acid battery (Deep cycle battery, VRLA battery, AGM battery, Gel battery), Lithium air battery, Lithium-ion battery (Lithium ion lithium cobalt oxide battery (ICR), Lithium ion manganese oxide battery (IMR), Lithium ion polymer battery, Lithium iron phosphate battery, Lithium–sulfur battery, Lithium– titanate battery, Thin film lithium-ion battery), Magnesium-ion battery, Molten salt battery, Nickel–cadmium battery (Nickel– cadmium battery vented cell type), Nickel hydrogen battery, Nickel–iron battery, Nickel metal hydride battery (Low self-discharge NiMH battery), Nickel–zinc battery, Organic radical battery, Polymer-based battery, Polysulfide bromide battery, Potassium-ion battery, Rechargeable alkaline battery, Rechargeable fuel battery, Silicon air battery, Silver-zinc battery, Silver calcium battery, Sodium-ion battery, Sodium–sulfur battery, Sugar battery, Super iron battery, Ultra Battery.

Table - 2 : Classification of batteries in-purview of regulations and mandates




(High Energy Density Batteries)

Remote controls, clocks, and radios, digital cameras, hand held games, MP3 players, etc.

(Heavy Weight LAB Batteries)

Starting, lightning, and ignition systems(SLI) of automobiles, backup power supply for high end servers, personal computers, telephone exchanges, and in off grid homes with inverters. Portable emergency lights also use lead acid batteries.

SCHEDULE-II**SCHEDULE - III****Targets for Extended Producer Responsibility – Authorisation**

No.	Year	battery-Waste Collection Target (Number/Weight)
(i)	During first two year of implementation of rules	30% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.
(ii)	During third and fourth years of implementation of rules	40% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.
(iii)	During Fifth and Sixth years of implementation of rules	50% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.
(iv)	Seventh year onward of implementation of rules	70% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.

Targets for Lead Acid Batteries

No.	Year	battery-Waste Collection Target (Number/Weight)
(i)	During first two year of implementation of rules	90% of the quantity
(ii)	During third and fourth years of implementation of rules	100% of the quantity

Form - 1**(Forms are under review & drafting).**